संख्या-28/2015/1310 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99-टी.सी.

प्रेषक

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 15 जून, 2015

विषय- पेराई सत्र 2014-15 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के "राज्य परामर्शित मूल्य (S.A.P.)" की प्रथम किश्त का भुगतान करने पर राज्य सरकार द्वारा रु0 8.60 प्रति कुन्टल की दर से वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1247सी.डी/46-3-15-3(48)/98-99-टी.सी., दिनांक 27.05.2015 एवं पत्र संख्या-1247ए सी.डी/46-3-15-3(48)/98-99-टी.सी., दिनांक 27.05.2015 तथा इस संबंध में प्रेषित अपने पत्र संख्या-438/क्रय, दिनांक 03.06.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-1247सी.डी/46-3-15-3(48)/98-99-टी.सी., दिनांक 27.05.2015 के माध्यम से यह संसूचित किया गया है कि "सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो चीनी मिलें पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (S.A.P.) की प्रथम किश्त, अगेती प्रजाति हेतु रु0 250 प्रति कुन्टल, सामान्य प्रजाति हेतु रु0 240 प्रति कुन्टल एवं अनुपयुक्त घोषित प्रजाति हेतु रु0 235 प्रति कुन्टल की दर से पूर्ण भुगतान, **दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक** अथवा उसके पूर्व, गन्ना किसानों को कर देंगी, उन चीनी मिलों को ही, गन्ना आयुक्त से उपर्युक्तानुसार प्रथम किश्त का भुगतान की पुष्टि हो जाने पर, राज्य सरकार की ओर से रु0 8.60 प्रति कुन्टल की दर से अतिरिक्त सहायता अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु दी जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस धनराशि का उपयोग चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु किया जाएगा। तद्नुसार पेराई सत्र 2014-15 के संबंध में शासन द्वारा लिये गये पूर्ण निर्णय व तद्क्रम में निर्गत निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।"

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2014-15 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य परामर्शित मूल्य (S.A.P.) के प्रथम किश्त का भुगतान, इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित तिथि (कट-आफ-डेट) 15 जुलाई, 2015 तक या इसके पूर्व, करने वाली चीनी मिलों को, कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु राज्य सरकार की ओर से देय अतिरिक्त सहायता (रु0 8.60 प्रति कुन्टल की दर से) दिये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रक्रिया एतद्द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जायेगीः-

(1) पेराई सत्र 2014-15 हेतु निर्धारित "राज्य परामर्शित मूल्य (S.A.P.)" के अनुसार देय प्रथम

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किश्त का भुगतान दिनांक 15.07.2015 अथवा उसके पूर्व करने वाली चीनी मिलों (सहकारी, निजी क्षेत्र तथा निगम की) को रू0 8.60 प्रति कुन्टल की दर से देय अतिरिक्त सहायता के मद में शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी जाय।

(2) प्रत्येक चीनी मिल का एक बैंक खाता गन्ना मूल्य भुगतान के लिये ही Earmarked किया जाय एवं यदि ऐसा खाता न हो तो नया खाता खोला जाय, जिस पर जिला गन्ना अधिकारी का नियंत्रण होगा। इस खाते का संचालन अध्यासी चीनी मिल एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा **'संयुक्त हस्ताक्षर'** से किया जाय। यह व्यवस्था शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता के गन्ना किसानों में वितरण कराने की सीमा तक ही लागू रहे।

(3) संबंधित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त से चीनी मिल द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य की प्रथम किश्त का निर्धारित सीमा के भीतर भुगतान किये जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र तथा Earmarked खाते का विवरण गन्ना आयुक्त द्वारा संकलित रूप से, अपने स्तर पर भी रखा जायेगा एवं शासन द्वारा उनके निवर्तन पर इस मद में आवंटित कर उपलब्ध करायी गयी धनराशि से आहरण की अनुमति दी जायेगी एवं समेकित सूचना पाक्षिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) शासकीय अतिरिक्त वित्तीय सहायता, गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के आदेशों के क्रम में संबंधित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होते ही चीनी मिल द्वारा उतनी ही धनराशि के समतुल्य गन्ना मूल्य भुगतान की कृषकवार समानुपातिक एडवाइस तैयार कर सम्बन्धित समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित समिति के सचिव द्वारा पत्रावली तैयार कर जिला गन्ना अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा उसी पत्रावली पर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) जनपद स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा, संबंधित बैंक के शाखा प्रबन्धक को, इस हेतु Earmarked बैंक खातों के विवरण एवं तद्क्रम में भुगतान हेतु पत्र व कृषकवार एडवाइस सहित, आर0टी0जी0एस0/ एन0आई0एफ0टी0 के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। इस पत्र में जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन का स्पष्टतः उल्लेख किया जायेगा।

(6) संबंधित बैंक, जिला गन्ना अधिकारियों के स्तर से पत्र/एडवाइस प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त Earmarked खाते में जमा अतिरिक्त शासकीय धनराशि की अधिकतम सीमा तक, प्राप्त कृषकवार एडवाइस के अनुसार, आर0टी0जी0एस0/एन0आई0एफ0टी0 के माध्यम से गन्ना किसानों का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जायेगा एवं कृत कार्यवाही की सूचना समेकित रूप से संबंधित जिला गन्ना अधिकारी को नियमित रूप से तत्काल प्रेषित की जायेगी।

(7) संबधित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी, जनपद की सभी चीनी मिलों के Earmarked खाते खुलवाने, खाते की सूचना देने, संयुक्त संचालन कराने एवं किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान कराने एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही की नियमित रूप से अद्यावधिक सूचना तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को तथा परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु **'नोडल अधिकारी'** होंगे।

.....3

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) जिलाधिकारी तत्काल संबंधित बैंकों की एक बैठक बुलायेंगे जिसमें Earmarked खाते का चिन्हांकन करना, संयुक्त संचालन, अतिरिक्त शासकीय सहायता का प्राप्त होना, कृषकवार एडवाइस के अनुसार भुगतान करना आदि सभी बातों को तय कराया जायेगा।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से भी समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2015/1310(1) सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99-टी.सी.-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप/संयुक्त/अपर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिला गन्ना अधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।